



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2418]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 2014/अग्रहायण 7, 1936

No. 2418]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2014/AGRAHAYANA 7, 1936

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवंबर, 2014

का. आ. 3007(अ) -भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हेतु, केंद्र सरकार ने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् के परामर्श से एतद्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आगे निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः—

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, सारणी में, उपशीर्षक 'डिग्रीज' के तहत क्रम संख्या 68 के और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या व प्रविष्टियाँ स्थानापन्न की जायेंगी, नामतः:

1	2	3
"68. पशु चिकित्सा कॉलेज, बैंगलोर और बीदर के संदर्भ में कर्नाटक पशुचिकित्सा, पशु और मत्स्यपालन विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदर	पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक	बी.वी.एससी और ए.एच. (यह योग्यता पशुचिकित्सा योग्यता तभी मानी जाएगी जब यह, 01 अप्रैल, 2005 अथवा इसके बाद प्रदान की गई हो।)
पशुचिकित्सा कॉलेज, शिमोगा,		बी.वी.एससी और ए.एच. (यह योग्यता पशुचिकित्सा-योग्यता तभी मानी जाएगी जब यह, 24 अगस्त, 2011 अथवा इसके बाद प्रदान की गई हो।)
पशुचिकित्सा कॉलेज, हसन,		बी.वी.एससी और ए.एच. (यह योग्यता पशुचिकित्सा योग्यता तभी मानी जाएगी जब यह, 24 अगस्त, 2012 अथवा इसके बाद प्रदान की गई हो।)"

[फा. सं- 52-01/2013-एलडीटी (वीसी)]

राजबीर सिंह राणा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची अन्तिम बार दिनांक 25 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 25 सितम्बर, 2014 के का. आ. 2518(अ) के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2014

S.O. 3007(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 15 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Central Government, after consulting the Veterinary Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:—

In the First Schedule to the said Act, under sub-heading “Degrees” and for serial number 68 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3
<p>“68. Karnataka Veterinary, Animal and Fisheries Sciences University, Bidar in respect of Veterinary Colleges, Bangalore and Bidar</p> <p>Veterinary College, Shimoga,</p> <p>Veterinary College, Hassan.</p>	<p>Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry</p>	<p>B.V.Sc. and A.H.</p> <p>(This qualification shall be a recognised veterinary qualification as aforesaid only when granted on or after the 1st April, 2005.)</p> <p>B.V.Sc. and A.H.</p> <p>(This qualification shall be a recognised veterinary qualification as aforesaid only when granted on or after the 24th August, 2011.)</p> <p>B.V.Sc. and A.H.</p> <p>(This qualification shall be a recognised veterinary qualification as aforesaid only when granted on or after the 24th August, 2012.)”.</p>

[F. No. 52- 01/2013-LDT (VC)]

RAJBIR SINGH RANA, Jt. Secy.

Note : - The First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 was last amended vide number S.O. 2518 (E), dated the 25th September, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 25th September, 2014.